भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 254

बुधवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

कर्नाटक में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएम-एसजीएमबीवाई) का कार्यान्वयन

*__254. श्री यदुवीर वाडियारः__ क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कर्नाटक में मैसूर जैसे शहरी केन्द्रों और कोडागु जिले में ग्रामीण पहुंच पर विशेष ध्यान देने सहित प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएम-एसजीएमबीवाई) के कार्यान्वयन में क्या प्रगति हुई है;

(ख) वर्तमान वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत परिवारों, एमएसएमई और सार्वजनिक संस्थानों को कितनी वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) राज्य स्तर पर विद्युत बिलों को कम करने, स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने को बढ़ावा देने और ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यो को प्राप्त करने पर इन प्रयासों के प्रभाव का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

'कर्नाटक में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएम-एसजीएमबीवाई) का कार्यान्वयन' के संबंध में पूछे गए दिनांक 17.12.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 254 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): भारत सरकार ने फरवरी, 2024 में पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (PMSG: MBY) की शुरुआत की, जिसका लक्ष्य 75,021 करोड़ रु. के परिव्यय से वित्त वर्ष 2026-27 तक कर्नाटक के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में आवासीय क्षेत्रों में एक करोड़ घरों में रूफटॉप सौर की स्थापना हासिल करना है।

पीएमएसजी: एमबीवाई, रूफटॉप सौर (आरटीएस) प्रणालियों की स्थापना के लिए एक मांग आधारित योजना है, जिसमें देश के सभी आवासीय उपभोक्ता जिनके पास स्थानीय डिस्कॉम का ग्रिड कनेक्टेड बिजली कनेक्शन है, योजना के राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन करके योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना के अंतर्गत आवासीय क्षेत्र के लिए उपलब्ध केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) निम्नानुसार है: -

- व्यक्तिगत घरों के लिए, प्रथम 2 किलोवाट पीक के लिए सीएफए 30,000 रुपये प्रति किलोवाट पीक और अतिरिक्त एक किलोवाट पीक के लिए 18,000 रुपये प्रति किलोवाट पीक है। व्यक्तिगत परिवार के लिए सब्सिडी 3 किलोवाट पीक रूफटॉप सोलर प्लांट क्षमता तक सीमित है।
- समूह आवासीय सोसायटियों/आवासीय कल्याण समितियों (जीएचएस/आरडब्ल्यूए) के लिए 500 किलोवाट पीक की रूफटॉप सौर संयंत्र क्षमता सीमा के साथ सीएफए 18,000 रुपये प्रति किलोवाट पीक है।
- उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों सहित विशेष श्रेणी के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मामले में, सीएफए 10 प्रतिशत अधिक है।

इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों के लिए आरटीएस प्रणालियों की किफायतता सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता के अलावा, आरटीएस प्रणालियों की स्थापना के लिए 5.75% (रेपो दर प्लस 0.50 बीपीएस) की ब्याज दर पर बिना गिरवी के ऋण उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, ग्रामीण परिवारों या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए पीएमएसजीःएमबावाई को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने उपयोगिता आधारित एकीकरण (ULA)/रेस्को मॉडल के अंतर्गत आरटीएस सिस्टम की स्थापना के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

दिनांक 11.12.2025 की स्थिति के अनुसार, देश भर में कुल मिलाकर 7254.44 मेगावाट आरटीएस क्षमता के साथ कुल 19,59,062 आरटीएस सिस्टम स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे 24,51,329 परिवार लाभान्वित हुए हैं। डिस्कॉम ने कुल 7,71,580 लाभार्थियों के बारे में सूचित किया गया है जिन्हें योजना के अंतर्गत किसी भी माह/बिलिंग अवधि के दौरान आरटीएस सिस्टम की स्थापना के बाद शून्य बिजली बिल मिला है।

कर्नाटक राज्य में, दिनांक 11.12.2025 की स्थिति के अनुसार, राज्य में कुल मिलाकर 14,533 आरटीएस सिस्टम स्थापित किए गए हैं जिससे 22,896 परिवार लाभान्वित हुए हैं। कर्नाटक के मैसूर जिले में, कुल 1,139 आरटीएस सिस्टम स्थापित किए गए हैं जिससे 1,591 परिवार लाभान्वित हुए हैं। इसी प्रकार, कर्नाटक के कोडागु जिले में, 140 आरटीएस सिस्टम स्थापित किए गए हैं ।

हालांकि, पर्याप्त केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है, परन्तु कर्नाटक राज्य सरकार को पीएम सूर्य घर योजना के नियोजन, समन्वय तथा कार्यान्वयन में और सुधार करने तथा मजबूत बनाने की आवश्यकता है। बेहतर कार्यान्वयन पूरे देश में अंतिम छोर तक डिलीवरी तथा निधियों के समयबद्ध उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इससे राज्य में परिवारों को स्वच्छ ऊर्जा, अतिरिक्त आय तथा भरोसेमंद विद्युत आपूर्ति के अपेक्षित लाभ प्राप्त होने में मदद मिलेगी।

*****